

22.12.2020 पत्रावली पेश। धुंकि इल दाव
जरिमे अदम टाजिये अदम पैली
में खाजि किया जा घुग हुं कतः
आफिया-पग चलामे जाने का दोष औपिय
नहीं हुं इसलिये आफिया-पग को भी
इसी स्तर पर खाजि किया जाता हुं।

पत्रावली कैथल सुमार छहर नंबर ले कर
की जाकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सी.पी.ओ. (कैथल)

द्वारा

दि 21/01/2020 को
कैथल जिला मजिस्ट्रेट, कैथल
कोर्ट के माध्यम से निलंबित है।
21-01-20